0सं0.8-10/2004-नीति-4

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 8 जुलाई, 2014

सेवा में

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के
प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति
विभाग,

विषय: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उनकी एजेंसियों के पास उपलब्ध क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान।

महोदय,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर विभाग के दिनांक 22.05.2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उनकी एजेंसियों के पास उपलब्ध क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के निपटान हेतु संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और दिनांक 22.05.2013 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में मार्गदर्शन और अनुपालनार्थ प्रेषित किए जा रहे हैं।

2. अनुरोध है कि अब केन्द्रीय पूल में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उनकी एजेंसियों द्वारा धारित क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान संलग्न संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(एन.के. मौर्या)
निदेशक (संचलन)
दूरभाष: 23382709

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष –सह- प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के निजी सचिव।
3. सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव (पी एंड एफसीआई)।
5. गार्ड फाइल।

राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा रखे गए क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के निपटान के लिए दिशा-निर्देश

1. जब कभी राज्य एजेंसी के पास पड़े केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों का कोई स्टाक संबंधित एजेंसी द्वारा जारी न करने योग्य पाया जाता है तो वह राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के संबंधित महाप्रबंधक को मामले की सूचना देगी। उन्नयन योग्य/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के बारे में इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार जिला स्तर पर एक संयुक्त तकनीकी समिति का तुरन्त गठन करेगी, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के भी दो प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि जारी न करने योग्य ऐसे स्टाक को श्रेणियों में विभाजित किया जा सके। जब भी इस उद्देश्य के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होता है, संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम इन दो प्रतिनिधियों को नामित करेगा, इनमें से एक प्रतिनिधि गुण नियंत्रण का कार्मिक होगा और दूसरा प्रतिनिधि जिला स्तरीय तकनीकी समिति में लेखा अधिकारी होगा। संयुक्त तकनीकी समिति ऐसे स्टाक की गुणवत्ता की जांच करेगी और यदि स्टाक, जारी न करने योग्य पाया जाता है तो वह यह निर्णय करेगी कि स्टाक उन्नयन योग्य (अपग्रेडेबल) है अथवा क्षतिग्रस्त। यदि स्टाक उन्नयन योग्य (अपग्रेडेबल) पाया जाता है तो संबंधित राज्य एजेंसी को उस स्टाक का उन्नयन करने के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा। संबंधित क्षेत्र का महाप्रबंधक राज्य एजेंसियों द्वारा दिए गए वास्तविक औचित्य के आधार पर स्टाक के उन्नयन के लिए अपेक्षित अवधि को एक माह के लिए बढ़ा सकता है। यदि राज्य एजेंसी ऐसे स्टाक का उन्नयन तीन माह के भीतर नहीं करती है तो भारतीय खाद्य निगम उसे क्षतिग्रस्त स्टाक घोषित कर देगा। यदि संयुक्त तकनीकी समिति को यह लगता है कि स्टाक क्षतिग्रस्त है और उसका उन्नयन नहीं किया जा सकता, तो क्षतिग्रस्त पाए गए अथवा भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षतिग्रस्त घोषित किए गए स्टाक की सूचना तुरन्त संबंधित राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय को दी जाएगी।

2. राज्य एजेंसी के पास रखे केन्द्रीय पूल के किसी स्टाक को जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) घोषित किए जाने के बाद भारतीय खाद्य निगम अपनी ओर से मामले की सूचना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के एफसी लेखा प्रभाग को देगा तथा विभाग और भारतीय खाद्य निगम, जैसा भी मामला हो, भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा की तारीख से ऐसे खाद्यान्नों के लिए राजय एजेंसी को कोई रखरखाव लागत (कैरिंग कॉस्ट) अथवा अन्य प्रभारों आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

3. यदि संयुक्त तकनीकी समिति यह पाती है कि स्टाक क्षतिग्रस्त है तो ऐसे क्षतिग्रस्त स्टाक के संयुक्त रूप से पर्याप्त संख्या में नमूने लिए जाएंगे और उनका भारतीय खाद्य निगम की जिला प्रयोगशाला अथवा पारस्परिक सहमति से निर्धारित किसी अन्य उपयुक्त प्रयोगशाला में ऊपर उल्लिखित जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा विश्लेषण किया जाएगा। तकनीकी समिति इन नमूनों के विभिन्न पैरामीटरों के आधार पर विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और संबंधित स्टाक के वर्गीकरण के आधार पर उसकी सिफारिशें राज्य सरकार/राज्य सरकार की एजेंसी को भेजी जाएंगी और उनकी प्रति भारतीय खाद्य निगम के संबंधित महाप्रबंधक (क्षेत्र) को प्रेषित की जाएगी।

4. वर्गीकरण के संबंध मे संयुक्त तकनीकी समिति की विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित राज्य सरकार/राज्य एजेंसी उसकी जांच कर सकती है और उसे स्वीकार कर सकती है तथा क्षतिग्रस्त स्टाक का तदनुसार निपटान करने के लिए आगे की कार्रवाई कर सकती है अथवा, यदि अपेक्षित हो तो, वह जिला स्तरीय समिति द्वारा किए गए वर्गीकरण की यादृच्छिक रूप से 20 प्रतिशत की जांच करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक राज्य स्तरीय सत्यापन समिति गठित कर सकती है।

5. राज्य सरकार और उसकी एजेंसियां इन दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित रिजर्व मूल्य पर अथवा उससे अधिक मूल्य पर क्षतिग्रसत खाद्यान्नों का निपटान करेंगी और यह निपटान पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा तथा ऐसे निपटान के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार सर्वोत्कृष्ट वाणिज्यिक शर्तों पर राज्य सरकार अथवा उसके समान सुविधाओं से युक्त उसकी एजेंसियों सहित वास्तविक उत्पादकों/पशु-आहार के उपभोक्ताओं के लिए निविदा/नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित राज्य एजेंसी के प्रबंध निदेशक/प्रमुख द्वारा निविदा के आकलन के लिए गठित की जाने वाली समिति में संबंधित महाप्रबंधक (क्षेत्र) द्वारा भारतीय खाद्य निगम का एक प्रतिनिधि नामित किया जाएगा ताकि अधिक पारदर्शिता, बेहतर बाज़ार दरों की खोज और केवल वास्तविक खरीदारों को ही क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की बिक्री सुनिश्चित की जा सके। निविदा में हिस्सा लेने वाले पात्र व्यक्तियों को इस बात की अनुमति होगी कि वे नीलामी वाले क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के लॉट के नमूने ले सकें ताकि वे पशुओं को खिलाने के लिए उनकी उपयुक्तता की जांच कर सकें।

6. क्षतिगस्त खाद्यान्नों के निपटान की पूरी प्राक्रिया समय-बद्ध होनी चाहिए और यह प्रक्रिया इन दिशा-निर्देशों के पैरा 1 में किए गए उल्लेख के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टाक को क्षतिग्रस्त घोषित किए जाने की तारीख से छह माह की अधिकतम अवधि के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। संबंधित राज्य एजेंसी द्वारा विधिवत औचित्य प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित क्षेत्र का महाप्रबंधक इस अवधि को 2 माह तक बढ़ा सकता है।

7. जब भी किसी स्टाक के क्षतिगस्त होने का पता चलता है तो संबंधित राज्य सरकार/राज्य एजेंसी साथ ही साथ अनिवार्य रूप से उन कारणों का पता लगाने के लिए जांच करेगी जिनकी वजह से स्टाक क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हुआ है। खाद्यान्नों को रखे जाने की निर्धारित मियाद की तुलना में स्टाक की अवधि, निर्धारित शील्ड-लाइफ से अधिक अवधि तक भंडारण के कारण, भंडारण का प्रकार (कवर्ड/कैप/अवैज्ञानिक कैप) आदि जैसे कारकों की जांच की जानी चाहिए और ऐसे सभी मामलों में किसी चूक, गड़बड़ी, लापरवाही आदि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए और जांच के निष्कर्षों के अनुसार डिपो प्रबंधक और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध, क्षति की वसूली के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

8. राज्य में किसी राज्य एजेंसी के पास अथवा विभिन्न राज्य एजेंसियों के संयुक्त स्टाक के हिस्से के तौर पर केन्द्रीय पूल में 1000 टन य उससे अधिक खाद्यान्न क्षतिग्रस्त पाए जाने पर, राज्य सरकार ऐसी घटना के कारणों की जांच के लिए तुरन्त एक सतर्कता दस्ता नियुक्त करेगी और यदि कोई दोषी पाया

जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुझाएगी तथा भविष्य में स्टाक को ऐसी क्षति से बचाने के लिए उपाय सुझाएगी।

9. भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऐसे स्टाक के निपटान के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार/राज्य एजेंसियों को 500 टन से कम क्षतिग्रस्त स्टाक के निपटान के लिए 'रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट' रखने की प्रयास करना चाहिए। इस 'रेट रनिंग कॉन्ट्रेट' का निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

10. सभी क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की निविदा ब्रिक्री के लिए रिजर्व मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता है:-

क	फीड-I	गेहूं के लिए फसल वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 60% चावल के लिए फसल वर्ष के निकाले गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का 60%
ख	फीड-II	गेहूं के लिए फसल वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50% चावल के लिए फसल वर्ष के निकाले गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का 50%
ग	फीड-III	गेहूं के लिए फसल वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 40% चावल के लिए फसल वर्ष के निकाले गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का 40%
घ	औद्योगिक उपयोग	गेहूं के लिए फसल वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 30% चावल के लिए फसल वर्ष के निकाले गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का 30%
ड.	खाद के रूप में उपयोग	गेहूं के लिए फसल वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 10% चावल के लिए फसल वर्ष के निकाले गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का 10%

फीड आदि का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

11. केन्द्रीय पूल के लिए राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों के पास क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के वर्गीकरण और निपटान में भारतीय खाद्य निगम के शामिल होने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि भारतीय खाद्य निगम/भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा उसकी किसी एजेंसी को क्षतिपूर्ति करने या दावों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया/गई है। चूंकि स्टाक राज्य एजेंसियों की अभिरक्षा में क्षतिग्रस्त हुए होते हैं, इसलिए उस क्षति को वहन करने के लिए उन्हें उत्तरदायी होना चाहिए और भारत सरकार ऐसे मामलों में क्षति की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी क्योंकि खरीदे गए खाद्यान्नों की सुरक्षित अभिरक्षा/परिरक्षण की जिम्मेदारी राज्य एजेंसियों की होती है।

12. भारतीय खाद्य निगम को चाहिए कि वह राज्य एजेंसियों के पास पड़े क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के निपटान की प्रगति की मॉनीटरिंग करे और ऐसे स्टाक के निपटान, उसके लंबित रहने एवं उसकी अवधि के संबंध में राज्यवार मासिक रिपोर्ट खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार को भेजे।

13. ये दिशा-निर्देश केन्द्रीय पूल के लिए भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों के जारी न करने योग्य (क्षतिग्रस्त) स्टाक के निपटान के लिए और विकेन्द्रीकृत खरीद पद्धति के तहत खरीदे गए खाद्यान्नों सहित भारत सरकार की ओर से उनकी अभिरक्षा में रखे खाद्यान्नों पर ही लागू होंगे।

अनुबंध-1

क्षतिग्रस्त गेहूं/चावल का वर्गीगरण

क्र. सं.	गेहूं/चावल का विवरण	विजातीय तत्वों एवं क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को छोड़कर साबुत दानों का प्रतिशत
1.	फीड-।	(i) चावल के मामले में 85 प्रतिशत से लेकर 95% से कम और गेहूं के मामले में 94 प्रतिशत साबुत दाने (ii) गिनती में 10% से अधिक केवल घुन लगे दाने (iii) प्रति किलोग्राम में 100 मिलीग्राम से अधिक केवल यूरिक एसिड तत्व पाया जाना
2.	फीड-॥	70% से लेकर 85% से कम साबुत दाने
3.	फीड-॥।	55% से लेकर 70% से कम साबुत दाने
4.	औद्योगिक उपयोग	(i) 30% से लेकर 55% से कम साबुत दाने (ii) विषैले रसायनों और उर्वरकों से संदूषित
5.	खाद के रूप में उपयोग	10% से लेकर 30% से कम साबुत दाने